न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 05/2018 अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनवान:–

प्रार्थीगण :–

1. भगवाना राम पुत्र खंगाराराम, जाति– विश्नोई ,उम्र–50 वर्ष, निवासी–भड़कुआ(हरियाली) तहसील–सांचौर, जिला–जालोर।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. चुनीदेवी पत्नी हरिराम, जाति–विश्नोई, उम्र–43 वर्ष
2. बाबुराम पुत्र रामचन्द्र, जाति– विश्नोई, उम्र– 55 वर्ष
   निवासी–भड़कुआ (हरियाली) तहसील–सांचौर।
3. व्यवस्थापक– एस.बी.बी.जे.(एस.बी.आई.)शाखा– सांचौर।
4. व्यवस्थापक–बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–सांचौर।
5. तहसीलदार सांचौर, जिला–जालोर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955

निर्णय

दिनांक 18.03.2021

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम –भड़कुआ, पटवार हल्का – हरियाली उपखण्ड क्षेत्र– सांचौर के खेत खसरा नम्बर 41 रकबा 4.14 है0 व अन्य खसरों का खेत आया हुआ है।जो उक्त भूमि प्रार्थी के बंट में आयी हुई है। जिसमें प्रार्थी की रहवासीय ढाणी आयी हुई है उक्त आराजी में भू–तल का पानी खारा है जिसमें सिचांई व फसल पिलानें के उपयोग का नही है तथा प्रर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है, उक्त खेत के नजदीक ही प्रार्थी के ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकीन बैरा आया हुआ हुआ है तथा उक्त बेरे पर विधुत कनेक्शन भी लिया हुआ है। उक्त कुए में गहरा मीठा पानी है तथा सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। जिस पर स्थित उक्त कुए से पाईप लाईन डालकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 41 के खेतों की सिचांई अप्रार्थी के खेत ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 1311 व ग्राम–भड़कुआ के खसरा नम्बर 138 में से भूमिगत सिमेन्ट की पाईप लाईन फेल होने से वर्तमान में सिचांई के उपयोग में नही रहने से प्रार्थी को अपने खेतों की फसल सिचांई करनें में कठिनाई रहती है, अभी अप्रार्थी द्वारा पाईप लाईन डालने से मना कर दिया , उक्त सभी खसरा नम्बरान की भूमि एक ही चक में आयी हुई है, मामला सहमति से नही बैठता है, जिससे अप्रार्थी के खेत ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 1311 रकबा 1.97 हैक्टर व ग्राम भड़कुआ के खसरा नम्बर 138 रकबा 3.24 है0 में से एक मीटर गहराई में व एक मीटर चौड़ाई में सिंचाई हेतु पानी ले जाने भूमि से सतह से निचें भूमिगत प्लास्टिक पाईप लाईन बिछाने के लिए निकटतम रूट से रास्ता अत्यन्त आवश्यकता है। उक्त पाईप लाईन के अलावा प्रार्थी के खेतों की सिचांई के लिए अन्य कोई विकल्प नही है जिससे इसी पाईप लाईन बिछानें का अधिकार मंजूर किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त पाईप लाईन बिछानें के खेतों की सिंचाई किए जाने हेतू उपयुक्त व सुविधाजनक पाईप लाईन है। उक्त भूमिगत पाईप बिछानें के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेतों को फसल सिचाई करनें का निकटतम रूठ का कोई विकल्प नहीं है। आवेदित स्थान की भूमि से प्रार्थी भूमिगत पाईप लाईन से वर्षो से सिचाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.04.05 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

18/3/21

Scanned by CamScanner

करता आ रहा है। लेकिन उक्त पाईप लाईन फेल होने से अभी अप्रार्थी उक्त भूमि अपनें नाम की खातेदारी में दर्ज होने से बहाना बनाकर उक्त स्थान से नई पाईप लाईन बिछाने से मना कर दिया है तथा पाईन लाईन बिछाने हेतु आपसी सहमति से मामला नही बैठता है। जिससे भूमिगत पाईप लाईन बिछाने की अनुमति हेतू उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी के पास उक्त पाईप लाईन के अलावा अन्य कोई प्रार्थी के खेतो की सिंचाई हेतू पानी ले जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनें खेतों फसल की सिंचाई करनें के लिए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से भूमिगत एक मीटर गहराई व एक मीटर चौड़ाई में पानी की पाईप लाईन बिछाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसे सलग्न नक्शे में नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में लाल सही से दर्शाया गया है। उक्त नक्शे को प्रार्थना पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढा जावें। प्रार्थी के उक्त आवेदित स्थान के पाईप लाईन के अभाव में फसल की सिंचाई करने में असमर्थ है चूंकि प्रार्थी के स्थित खेतों का पानी बिल्कूल खारा है जिससे सिंचाई करनें में अनुपयोगी है। प्रार्थी की आजीविका उक्त खेतों की सिंचाई कर खेती कर अपने परिवार की आजीविका चलाता है। अपने परिवार की उक्त खेती की आमदनी से पूरे परिवार का भरण–पोषण लते, दवाई खर्चा, बच्चों की शिक्षा प्राप्त करता है लेकिन उक्त खेतों का पानी खारा होने से खेती करनें में असमर्थ होने से उक्त पाईप लाईन के अभाव में प्रार्थी के पूरे परिवार का भरण पोषण करनें में असमर्थ है, अपने बच्चों को शिक्षा दिलानें में असमर्थ होकर बच्चों का भविष्य अंधकार में होने जैसी इत्यादि कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे पाईप लाईन बिछाने की अत्यन्त आवश्यकता है। लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने से मना कर दिया। जिससे प्रार्थी भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के अधिकार पानें का कानूनी हकदार है।

अतः प्रार्थना पत्र मयं शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि से एक मीटर की गहराई व एक मीटर चौड़ाई में सिंचाई के पानी ले जाने के लिए भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतू निकटतम रूट से सुविधा मंजूर की जाकर नक्शानुसार प्रार्थी के समाविष्ट करनें वाली इस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की जाकर भूमिगत पाईप लाईन बिछानें के उपयोग के रूप में अनुज्ञात किये जानें व अभिलिखित किए जानें का आदेश फरमावें। उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछानें में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का बाधा कारित न करें, न करावें तथा भूमिगत पाईप लाईन में किसी भी उपकरण से तोड़ फौड़ न करें व न करावें।

इकबाली जवाब अजतरफ अप्रार्थीया संख्या 1 चुनीदेवी धर्म पत्नी हरिरामजी, जाति– विश्नोई, साकिन– भरकुआ, तह.सांचौर का निम्न है–

प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 1311 में से 3 फीट लम्बाई–चौड़ाई में भूमिगत पाईप लाईन निकाली जाती है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उजर, एतराज नहीं है तथा इस बाबत पूर्ण सहमति है। तथा हमारे आपस में राजीनामा हो चुका है। तथा पाईप लाईन निकाले जाने वाली भूमि के रकबा 0.03 है0 भूमि की प्रतिकर राशि भी मुझे प्राप्त हो चुकी है तथा इस बाबत भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 48 प्रार्थी के बन्ट में आया हुआ है जिसमे प्रार्थी की रहवासीय ढाणी है। उक्त खेत का भूतल का पानी खारा है। ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 1309 में गैर मुमकीन बेरा प्रार्थी भगवाना का आया हुआ है। उक्त बेरे पर वि[illegible] लिया हुआ है। उक्त बेरे से मेरे खेत खसरा संख्या 1311 में पाईप लाईन डालकर अपने खेतों [illegible] सिंचाई हेतु पानी ले जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अतः इकबाली जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ अप्रार्थीया के खेत में से पाईप लाईन डाली जाती है तो मुझ अप्रार्थीया कोई आपत्ति या एतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.04.05 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जवाब बाबूराम पुत्र श्री रामचन्द्र जी कौम विश्नोई निवासी भरकुआ तहसील सांचौर, जिला जालौर राज0 का निम्न प्रकार पेश है– प्रार्थी भरकुआ का रहने वाला हूँ। वाके सरहद मौजा भरकुआ में मेरे नाम से खातेदारी का खेत आया हुआ है। जिसके नम्बर 138 रकबा 1.38 है0 का आया हुआ है जिसमें मेरी रहवासीय ढाणी बनी हुई है जिसमें मैं सहपरिवार निवास करता हूं। अप्रार्थी के सरहद मौजा भरकुआ में खेत खसरा नम्बर 41 रकबा 4.14 है0 खातेदारी का तथा वाके सरहद मौजा हरियाली में खेंत खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.01 है0 बेरा प्रार्थी और अन्य सहखातेदारो के संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थी के भड़कुआ के खेत खसरा नम्बर 41 के खेत में हरियाली के खेत खसरा नम्बर 41 के खेत में हरियाली के खेत खसरा नम्बर 1309 गै मु बेरा से पाईप लाईन चल रही है तथा आज भी मौके पर फसल खड़ी है। उक्त पाईप लाईन हरियाली के खसरा नम्बर 1309 से 1310 तथा 1311 से होकर 1312 और भड़कुआ खसरा नम्बर 139 में से सीधी खसरा नम्बर 41 में जा रही है प्रार्थी के उक्त खेतों का रास्ता भी इन्हीं खेंते से होकर गुजरता था तथा पाईप लाईन भी आज भी मौके पर उसी स्थान से गुजर रही है। दुसरी पाईप लाईन प्रार्थी के वाके सरहद मौजा भरकुआ के खेत खसरा नम्बर 74 में कुआ है उस कुए से पाईप लाईन खसरा नम्बर 41 में चल रही है। मेरे भड़कुआ के खेत खसरा नम्बर के 138 में से कभी कोई पाईप लाईन प्रार्थी की नही चली है। प्रार्थी समृद्ध और राजनीतिक प्रभुत्व सम्पन्न होने से हमें परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र लाया है। मेरे उक्त खेत में से पाईप लाईन और रास्ता बाबत प्रार्थी के चाचाई भाई हरिराम से भी अलग से प्रार्थना पत्र लगाए हुई है जो माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। प्रार्थी का खेत नर्मदा नहर से सिचित है, उसके खेत मे नर्मदा नहर की कुडी बनी हुई नर्मदानहर से खेत सिंचित हो रहा है तथा अपने बेरे से भी सिंचित हो रहा है। आज भी मौके पर फसल खड़ी है। फिर भी नाहक परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र लाया है प्रार्थी क्लीनहैड भी नहीं है। कोर्ट में पेश प्रार्थना पत्र में गलत जानकारी दी है जो ज़वाब में खसरा नम्बर 1309 बेरा से 1310, 1311, 1312 और भरकुआ के खेत खसरा 139 से होकर 41 में जा रही है जिसका मौके पर मुआयना भी किया जा सकता है। केवल परेशान की गरज से उक्त मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है।

प्रथम मौका फर्द दिनांक 15.11.2018 को श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय सांचौर के पत्र कमांक/कोर्ट/2018/1346 दिनांक 07.09.2018 अनवान प्रार्थी भगवानाराम बनाम अप्रार्थीगण चुनीदेवी वगैरह में मुकदमा नम्बर 05/2018 में प्रार्थी भगवानाम द्वारा ग्राम हरियाली में अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मु0 बेरा मे से ग्राम भड़कुआ में स्थित अपना संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 41 रकबा 4.14 है0 किस्म चाही जाव दोंयम में भूमिगत पाईप लाईन पानी ले जाने हेतु आवेदन किया है का मौका देखा गया, ग्राम हरियाली खसरा नम्बर 1311 चुनीदेवी धर्मपत्नी हरीराम जाति विश्नोई भरकुआ, खसरा नम्बर 1308 हरिराम पुत्र जोधाराम वगैरह विश्नोई निवासी भड़कुआ के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है। तथा ग्राम भड़कुआ में खेत खसरा नम्बर 138 बाबूराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी भड़कुआ के नाम खातेदारी दर्ज है। भगवानाराम खसरा नम्बर 1309 से खसरा 1311 व खसरा न0 138 से अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 41 में पानी की पाईप लाईन 1 मीटर चौडी व 1 मीटर गहरी खोदकर डलवाना चाहता है। चुनीदेवी धर्मपत्नी हरीराम अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1311 में उक्त पाईप लाईन डलवाने हेतु सहमत है। परन्तु बाबुराम पुत्र रामचन्द्र विश्नोई आपस में अनबन होने पर अपने खेत खसरा [illegible] पाईप लाईन डलवाने हेतू सहमत नही है। बाबूराम व भगवानाराम आपस में चचेरा [illegible] का [illegible] है। पाईप लाईन डालने हेतु नजरी नक्से में बतायी गयी प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है। [illegible] दूरी है।

द्वितिय मौका रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 के अनुसार –

प्रार्थी भगवानाराम पुत्र खंगाराराम जाति विश्नोई निवासी भरकुआ (हरियाली) तहसील सांचौर जिला जालौर ने खुद की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 4.14 हैक्टर भूमि जिसमें भगवानाराम वल्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.04.05 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

18/3/21

Scanned by CamScanner

खंगाराराम हिस्सा 1/3 जयकिशन वल्द खंगाराराम हिस्सा 1/3 व पंखीदेवी पत्नी खंगाराराम हिस्सा 1/3 की खातेदारी दर्ज है तथा मौके पर खसरा नम्बर 41 के दो भाग किये हुए है, जिसमे पश्चिम की दिशा में जयकिशन काश्त करते है तथा पूर्व दिशा में भगवानाराम काश्त करते है।

प्रार्थी भगवानाराम खसरा नम्बर 41 रकबा 4.14 है0 में से 1/2 हिस्सा जो प्रार्थी काश्त करता है को पडौस के खेत खसरा नम्बर 293/71 के खातेदार शैतानराम पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई के चौरा माईनर से पाईप लाईन उनके घर तक डाली हुई है जिसमें भगवानाराम बन्ट पर पानी लेकर सिंचाई करता है।

प्रार्थी ने मुकदमा संख्या 05/2018 के जरिये पाईप लाईन हेतु आज्ञा प्रदान करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकीन बेरा से ग्राम भरकुआ के खसरा नम्बर 41 तक सिंचाई हेतू पाईप लाईन डालने का निवेदन किया है।खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकीन बेरा वर्तमान में उपयोग में नही आ रहा है। तथा उस पर कृषि कनेक्शन लिया हुआ है यह भूमि सामलाती है। जिसके खातेदार हरिराम वल्द जोधाराम, गवरीदेवी पत्नी खंगाराराम रामलाल वल्द जालाराम के नाम खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी भगवानाराम के सिंचाई हेतु पानी के पाईप लाईन की आवश्यकता तथा खसरा नम्बर 41 ग्राम भड़कुआ में ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 1310 सें पानी की पाईप लाईन बिछानें हेतु खसरा नम्बर 1311 ग्राम हरियाली व ग्राम भड़कुआ के खसरा नम्बर 306/138 में से जो खसरा नम्बर 41 व 1310 के बिच कम दुरी के हिसाब से निचे नजरी नक्शे अनुसार पाईप लाईन डालने हेतू प्रस्तावित की गई है तथा जहां पर भूमि प्रस्तावित की है वहां पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नही है। तथा पाईप लाईन हेतु निकटतम व सुविधाजनक दुरी 450 मीटर है।

बहस अभयपक्ष सुनी। दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों दोहरान किया। बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा संख्या रकबा 4.14 है0 मौजा भड़कुआ पटवार हल्का हरियाली के लिए खसरा संख्या 1309 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकीन बेरा मौजा हरियाली से खसरा संख्या 1311 व 138 वर्तमान में 306/138 से होकर पाईप लाईन बिछाने की मांग की गई है।

अप्रार्थी के अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 41 की सिंचाई हेतु स्थान से पाईप लाईन चल रही है तथा प्रार्थी का खेत नर्मदा नहर से भी सिंचित हो रहा है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 के अनुसार प्रार्थी भगवानाराम खसरा नम्बर 41 रकबा 4.14 है0 में से 1/2 हिस्सा जो प्रार्थी कास्त करता है को पड़ौस के खेत खसरा नम्बर 293/41 के खातेदार शैतानाराम पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई के चौरा माइनर से पाईप लाईन उनके घर तक डाली हुई है जिससे भगवानाराम हिस्से पर पानी लेकर सिंचाई करता है।

ग्राम हयिाली के खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन बेरा वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहा है तथा खसरा नम्बर 1310 गैर मुमकिन सड़ा में ट्यूबवेल बना हुआ है तथा उस पर कृषि कनेक्शन लिया हुआ है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 41 को सिंचाई हेतू पाईप लाईन बिछाने के लिए आवेदन किया है खसरा संख्या 41 में प्रार्थी भगवानाराम के अतिरिक्त जयकिशन एवं पंखीदेवी भी सहखातेदार है। जबकि प्रार्थी द्वारा इन दोनों अनिवार्य पक्षकारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। इसके साथ ही खसरा नम्बर 1309 गैर मुमकिन बेरा में भी हरिराम वल्द जोधाराम, जयकिशन व पंखीदेवी सहखातेदार है जिन्हें भी प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी पड़ौसी खातेदार के खेत से हिस्से के आधार पर अपने खेत की सिंचाई कर रहा है एवं खसरा नम्बर 1309 में स्थित बेरा वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.04.05 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

10/3/21

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र में अनिवार्य पक्षकारों को संयोजित नहीं करने तथा खसरा नम्बर 1309 में स्थित बेरा वर्तमान में उपयोग में नहीं आने से प्रार्थना पत्र धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

10/3/21

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचोर

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी-सांचोर जिला जालोर (राज०)
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.04.05 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner